

बिन्दु क्रमांक 14-

बिन्दु क्रमांक 14- के संबंध में दिव्यांगो को पोलिंग बुथ तक लाने के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संबंधित नगरी निकाय एवं जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा व्यवस्था की जावेगी। एवं व्हील चेयर भी उपलब्ध कराई जावेगी।

अपर कलेक्टर  
हेतु कलेक्टर  
जिला हरदा